राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	89/2026 **ममता बनाम बिरदीचन्द** हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो।	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 497 रकबा 0.2150 है. स्थित ग्राम लालगढ पटवार हल्का लालगढ भू.अ.नि. क्षेत्र लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर में प्रार्थी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि के आगे खसरा नम्बर 498 प्रार्थी की शामलाती चाह की भूमि है, जिसके आगे खसरा नम्बर 499 व 556 है। जिसमें होकर मौके पर रास्ता कटा हुआ है। जिसमें होकर प्रार्थी सर्वप्रथम शामलाती गैर मुमकिन चाह की भूमि खसरा नम्बर 498 में होता हुआ अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 497 में प्रवेश करता है एवं खसरा नम्बर 497 से अपने स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 807/558 में खसरा नम्बर 556 में होकर ही अर्सा दराज से आ रहा है एवं प्रार्थी के स्वामित्व खसरा नम्बर 497 एवं खसरा नम्बर 807/558 में आने जाने के एकमात्र रास्ता खसरा नम्बर 556 में होकर ही है। प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 497 एवं 805/558 एवं अप्रार्थी के स्वामित्व की भूमि खसरा नम्बर 556 वाके ग्राम लालगढ प.ह. लालगढ भू.अ.नि. क्षेत्र बलिंगड तहसील बस्सी जिला जयपुर है। प्रार्थी स्वयं के स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा नम्बर 497 से 807/558 ग्राम लालगढ में आने जाने व अपने कृषि यन्त्र आदि लाने ले जाने हेतु सुगमता आवागमन हेतु अन्य खातेदारान के स्वामित्व के खसरा नम्बर 556 रकबा 0.5457 है. वाके ग्राम लालगढ की भूमि में से 12 फिट चौडाई के नये रास्ते हेतू भूमि चाही जा रही है तथा जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है। जिसे संलग्न नजरी नक्शे में हल्के हरे रंग स दर्शाया गया है। प्रार्थी नियमानुसार युक्तियुक्त मुआवजा राशि अदा करने को तैयार व तत्पर है तथा प्रार्थी ने उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किये जाने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात तहसीलदार बस्सी द्वारा मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31/10/2025 पारित करते हुये रास्ता कायमी के	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	ममता बनाम बिरदीचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

आदेश प्रदान किये गये | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीयां द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी है | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है | जहाँ तक प्रकरण के गुणावगुण पर उद्धरित तथ्यों का प्रश्न है तो इस सन्दर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का समुचित परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय के द्वारा रास्ता कायमी का आदेश प्रदान किया गया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिकत्रुटी प्रतीत नही होती है | कानूनन रिकार्डेड खातेदार को उसकी खाते की आराजी पर उन्नत कृषि हेतु रिकार्डेड रास्ता प्रदान किया जाना आवश्यक होता है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित्त एवं विधिसम्मत प्रकट होने से उसमे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता ही |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में कोई त्रुटी जाहिर नही होने से उसे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |